



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ८, अंक ८]

गुरुवार, मार्च १७, २०२२/फाल्गुन २६, शके १९४३

[पृष्ठ ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, MAHARASHTRA STATE

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 17th March 2022.

NOTIFICATION

No. BYE-2022/CR. 181/22/XXXIII.—In pursuance of sub-section (1) of Sections 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the following is published for General Information :—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

17th March, 2022

New Delhi 110 001, dated the

26 Phalguna, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/MH-LA/1/2022.—WHEREAS, the seat of Chandrakant Pandit Jadhav, in the Legislative Assembly of the State of Maharashtra, elected from 276 - Kolhapur North Assembly Constituency, has become vacant on 1st December, 2021, by reason of his death ; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused ;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) calls upon the said 276 - Kolhapur North Assembly Constituency in the State of Maharashtra, to elect, before the 18th April, 2022 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;

(B) appoints, with respect to the said election,—

(a) the 24th March, 2022 (Thursday), as the last date for making nominations ;

(b) the 25th March, 2022 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations ;

(c) the 28th March, 2022 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;

(d) the 12th April, 2022 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ;

(e) the 18th April, 2022 (Monday), as the date before which the election shall be completed ; and

(C) fixes the hours from 7-00 A.M. to 6-00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

S. K. DAS,
SECRETARY TO THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001, तारीख 17 मार्च, 2022
26 फाल्गुन, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/महा. - वि.स./1/2022.—यतः, महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा में 276 —कोल्हापूर उत्तर विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से निर्वाचित चंद्रकांत पंडीत जाधव का स्थान, उनकी मृत्यु होने के कारण 1 दिसम्बर, 2021 को रिक्त हो गया है ; और

2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1), तथा धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा —

(अ) महाराष्ट्र राज्य में उक्त 276 —कोल्हापूर उत्तर विधान सभा निर्वाचन— क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे 18 अप्रैल, 2022 (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें ;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में —

(क) नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	24 मार्च, 2022 (गुरुवार)
(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	25 मार्च, 2022 (शुक्रवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	28 मार्च, 2022 (सोमवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	12 अप्रैल, 2022 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	18 अप्रैल, 2022 (सोमवार)

नियत करता है, और

(इ) 7-00 बजे पूर्वाह्न से 6-00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

A. N. VALVI,

Deputy Secretary and Joint Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

क्रमांक : बीवायई २०२२/प्र.क्र. १८१/२०२२/३३

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक १७ मार्च, २०२२.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :—

- (१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई.
- (२) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग.
- (३) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, कोल्हापूर.
- (४) निवडणूक निर्णय अधिकारी (२७६-कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ.)
- (५) निवडनस्ती.

सं. ना. गरुडकर,

कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,

महाराष्ट्र शासन.